प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 733/2008

याचिकाकर्ता:

नगेन्द्र सिंह परिहार, पिता स्व. शिव सिंह परिहार, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी: ग्राम व पोस्ट निरजाम, तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, स्वास्थ्य विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा: सचिव, स्वास्थ्य विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
6. कलेक्टर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका</u>

उपस्थिति:

श्री गौतम खेत्रपाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 4, 5 और 6 के लिए।

// मौखिक आदेश //

(आज दिनांक 4 फरवरी, 2008 को पारित किया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के पिता, नामतः श्री शिव सिंह परिहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुंगेली, जिला बिलासपुर में जे. एम. आई. के रूप में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 3.7.1985 को सेवारत रहने के दौरान हुई थी।

2. याचिकाकर्ता की माता ने दिनांक 6.2.1987 (संलग्नक पी/3) को एक आवेदन प्रस्तुत किया कि चूंकि उनके बच्चे अवयस्क हैं, अतः जब वे वयस्कता प्राप्त कर लेंगे, तब वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

3. वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी क्रमांक 5 को अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिनांक 13.8.2005 (संलग्नक पी/4) को आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता का आवेदन स्वास्थ्य सेवाएँ संचालनालय, भोपाल (मध्य प्रदेश) को प्रेषित किया गया था, क्योंकि यह प्रकरण वर्ष 1985 का अर्थात् अविभाजित

मध्य प्रदेश राज्य की अवधि का है। स्वास्थ्य सेवाएँ संचालनालय, भोपाल ने पत्र दिनांक 27.7.2006 (संलग्नक पी/1) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि कर्मचारी (याचिकाकर्ता के पिता) की मृत्यु के सात वर्ष की अवधि के पश्चात याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का कोई उपबंध नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता वयस्कता प्राप्त करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **मोहन महतो विरुद्ध मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड व अन्य (2007 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 6060**) के प्रकरण में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता ने यह याचिका अस्पष्टीकृत और अत्यधिक विलंब के साथ प्रस्तुत की है, जिसमें प्रत्यर्थीगण को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु दिनांक 3.7.1985 को हुई थी और याचिकाकर्ता की माता ने उस समय अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था।

6. यह सुस्थापित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती की कोई पद्धति नहीं है, अपितु, यह संकटग्रस्त परिवार को तत्काल पुनर्वास प्रदान करने की एक सुविधा है ताकि मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को निराश्रित होने से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य अभावग्रस्त

परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाना है न कि रोजगार प्रदान करना। यह भी सुस्थापित है कि केवल कर्मचारी की मृत्यु मात्र उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं बनाती है, यदि परिवार के सदस्य आय के अन्य स्रोतों से स्वयं का वित्तीय भरण-पोषण करने में सक्षम थे।

7. **हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य विरुद्ध हाकिम सिंह { (1997) 8 एस.सी.सी. 85 }** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "किसी भी अनुकंपा नियुक्ति योजना का संपूर्ण उद्देश्य परिवार को सहायता देना है ताकि वह अपने एकमात्र उपार्जक सदस्य के असामयिक निधन के कारण आश्रितों पर आए अचानक वित्तीय संकट से उबर सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उच्चतम न्यायालय ने **जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य विरुद्ध सजाद अहमद मीर { (2006) 5 एस.सी.सी. 766 }** के प्रकरण में, कंडिका 11 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "11.....यह है कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः, शासकीय या अन्य लोक क्षेत्रों में नियोजन उन सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आ सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता के आधार पर, लोक पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से तब तक विचलित नहीं होना चाहिए जब तक कि अनिवार्य परिस्थितियाँ ऐसी मांग न करें, जैसे कि एकमात्र उपार्जक की मृत्यु और परिवार के झटके के कारण पीड़ित होने की संभावना। एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है

कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद परिवार जीवित रहा और पर्याप्त अवधि व्यतीत हो चुकी है, तो नियुक्ति के सामान्य नियम की अवहेलना और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश की उपेक्षा करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर किसी एक पर उपकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मोहन महतो** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में पारित निर्णय और आदेश वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। **मोहन महतो** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (एन.सी.डब्ल्यू.ए.) यह उपबंध करता है कि संबंधित कर्मचारी के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष आश्रित को 'लाइव रोस्टर' पर रखा जाएगा और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे उसके कौशल और योग्यता के अनुरूप नियोजन प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मोहन महतो के पिता की मृत्यु 23.2.1997 को हुई थी और याचिकाकर्ता ने 26.9.1999 को वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर आवेदन प्रस्तुत किया था। वर्तमान प्रकरण में तथ्य भिन्न हैं, जहाँ याचिकाकर्ता ने 20 वर्षों की अवधि के पश्चात दिनांक 13.8.2005 को विलंब के कारणों का खुलासा किए बिना आवेदन प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2002 में वयस्कता की आयु प्राप्त की थी, क्योंकि उसका जन्म 09.10.1984 को हुआ था। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने अत्यधिक विलंब का स्पष्टीकरण दिए बिना आवेदन करने में तीन वर्ष से अधिक का समय लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विधि के उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में, इस याचिका में कोई सार नहीं है। तदनुसार याचिका संक्षेपतः खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur